संख्या-31/2016/846/22-2-2015-17(124)/2013

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 18 मार्च, 2016

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राज बहादुर पुत्र श्री नानक चन्द्र, निवासी जनपद-शाहजहांपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-44569/प्रो0-5-दया0-अन्य-118/30-09-2015 दिनांक 14-10-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी राज बहादुर पुत्र श्री नानक चन्द्र, निवासी ग्राम-सीतापुर, थाना-खुटार, जनपद-शाहजहांपुर का निवासी है। बन्दी द्वारा गन्ने की तौल व बकाया पुराने पैसे की अदायगी को लेकर दिनांक 22-10-95 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दोनाली बन्दूक व राइफल से 01 व्यक्ति की हत्या का अपराध कारित किया गया है। बंदी को सत्र परीक्षण संख्या 314/1996 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाहजहांपुर द्वारा दिनांक 28-08-1997 आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी की आयु दिनांक 06.09.2015 को 55 वर्ष 05 माह लगभग है। पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर द्वारा अपनी आख्या में बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं बताया है। फिर भी बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर द्वारा बन्दी की दयायाचिका स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की गयी है। समिति की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त द्वारा मामूली विवाद में राइफल व दोनाली बन्दूक से हत्या की गयी, अभी वह स्वस्थ व प्रौढ आयुवय का है। मामले की परिस्थितियों में मुक्त होने पर अपराध कारित करने की सम्भावना, बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति, काटी गयी सजा के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समय पूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। अत: प्रकरण में सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी राज बहादुर पुत्र श्री नानक चन्द्र की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी राज बहादुर (बन्दी संख्या-40383) पुत्र श्री नानक चन्द्र, निवासी जनपद-शाहजहांपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-846/(1)/22-2-2015 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in